भारत का उच्चतम न्यायालय दाण्डिक अपीली अधिकारिता

दाण्डिक अपील सं. 505/2019 (एस.एल.पी. (दाण्डिक) सं. 7004/2017 से उद्भूत)

| हरवीर सिंह और अन्य | | अपीलार्थी(गण) |
|--------------------|--------|----------------|
| | बनाम | |
| 3. प्र. राज्य | | प्रत्यर्थी(गण) |
| | निर्णय | |

<u>अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति</u>

- 1. अनुमति दी गई।
- 2. यह अपील आपराधिक पुनरीक्षण सं. 2870/2009 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उस अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 09.12.2016 के विरुद्ध निर्दिष्ट है जिसमें उच्च न्यायालय ने इन अपीलार्थियों द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण को एकपक्षीय आधार पर खारिज कर दिया था।
- 3. इस अपील में एक छोटा बिंदु शामिल है जैसा कि नीचे बताए गए तथ्यों से स्पष्ट है।

 <u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 4. आपराधिक वाद सं. 247/1 वर्ष 2008 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा दवारा अन्य दो अभियुक्तों के साथ अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके पश्चात "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 323, 324, 452, 504 और 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजित किया गया था। हालाँकि, दिनांक 01.05.2008 के आदेश से, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्त गणों को समस्त आरोपों से दोषम्कत कर दिया।
- 5. राज्य ने व्यथित महसूस किया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 81/2008 दायर की। दिनांक 20.07.2009 के आदेश से, अपीली अदालत ने अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए अन्य दो अभियुक्तों के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा और अपीलार्थियों को धारा 323,324 और 452 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और उनमें से प्रत्येक को धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत 500/- रुपये के जुर्माना के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास से, धारा 324 आईपीसी के अंतर्गत 500/- रुपये के जुर्माना के साथ एक वर्ष के कठोर कारावास से एवं धारा 452 आईपीसी के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, अपीलार्थियों (अभियुक्तों) में से प्रत्येक को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भ्गतना होगा। ये सभी दंड साथ-साथ चलने थे।
- 6. अपीलार्थियों ने अपीली अदालत के इस आदेश से व्यथित महसूस किया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्नरीक्षण दायर किया। स्नवाई के समय, अपीलार्थियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने इस पुनरीक्षण को एकपक्षीय आधार पर खारिज कर दिया, जिसके कारण अपीलार्थियों (अभियुक्त) द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से इस अदालत में वर्तमान अपील दायर की गई है।
- 7. इसलिए, लघ् प्रश्न, जो इस अपील पर विचार के लिए उठता है, यह है कि क्या अपीलार्थियों के पुनरीक्षण को खारिज करने में उच्च न्यायालय न्यायोचित था।
- 8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को स्ना।
- 9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस वाद के रिकॉर्ड का परिशीलन करने पर हम अपील को मंजूर करते हैं और विधि के अनुरूप गुणागुण के आधार पर इस पुनरीक्षण के नए सिरे से विनिश्चय हेत् इस मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने के लिए तैयार हैं।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 10. आक्षेपित आदेश निम्नानुसार है:
- "3. रिकॉर्ड को देखने के बाद, मुझे कोई प्रकट त्रुटि या अन्यथा अवैधता, प्रक्रियात्मक या अन्यथा, नहीं मिलती है, जिससे आपराधिक पुनरीक्षण में हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराया जा सके।
 4. खारिज."
- 11. हमारे विचार में, जैसा कि आक्षेपित आदेश के परिशीलन से स्पष्ट होगा, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण को खारिज करते हुए कोई कारण नहीं बताया। हम इस तरीके से पुनरीक्षण के निपटान की अनुमित नहीं दे सकते हैं।
- 12. सबसे कम जो अपेक्षित था, वह यह था कि उच्च न्यायालय इस मामले में उत्पन्न होने वाले तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर अपने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करेगा और फिर दोषसिद्धि को बरकरार रखने या अपीलार्थियों को दोषमुक्त करने, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- 13. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने, हालांकि, इस मामले में उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर निवेदन किए। हम उन पर ध्यान नहीं देना चाहते और न ही उन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलार्थी उच्च न्यायालय के समक्ष अपने निवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- 14. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और तदनुसार मंजूर की जाती है। आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। पुनरीक्षण याचिका, जिसमें से यह अपील उत्पन्न हुई है, के विधि के अनुरूप गुणागुण के आधार पर नए सिरे से विनिश्चय हेतु इस मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
- 15. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह पुनरीक्षण को छह महीने के भीतर प्राथमिकता से तय करे।

| [अभय मनोहर सप्रे] न्यायमूर्ति |
|---|
| [दिनेश महेश्वरी] न्यायमूर्ति |
| नई दिल्ली ; 15 मार्च 2019 |
| उद्घोषणा |

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।